Amendment Bills. This was the rumour in the Central Hall and I would like the rumour to be dispensed with.

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: क्या मंत्री जी, ऐसा है? मंत्री जी इसको भी बता दें।

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: Let me complete. It was also discussed in the meeting that no special mentions will be allowed when these two Bills are taken up for consideration. This is the consensus. (*Interruptions*). We can talk. I am not on that point at all. I am drawing the attention of the House that these two things had been discussed. Now as the Minister, Shri Bhajan Lal, has said that the Prime Minister is likely to reply to the debate on the 18th, that means...

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: नहीं, कहते हैं कि वोटिंग तभी होगी जब वे मेंबर और डिसक्वालीफाई हो जाएंगे इधर के।

SHRI V. GOPALSAMY (Tamil Nadu): This month or next month.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: Day after tomorrow. What happens to our decision? Are we sitting beyond 18th? Today is the penultimate day. Even then we are not told whether we are sitting beyond 18th, whether we are passing these two Bills, whether they intend to discuss these two Bills, whether they are interested in going through the discussion of these two Bills in this session or not. Let us know whether they want to sit beyond 18th or, as I said earlier, let the Government make up its mind. Perhaps the Government does not know its own mind. They should make up their mind so that we may adjust our programmes accordingly.

SHRI V. GOPALSAMY: Where is the Parliamentary Affairs Minister, Shri Jacob?

श्री भजनलाल: उपाध्यक्ष महोदय, यह काम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का है फैसला करने का कि हाउस कितने दिन चले। जैसा कि अभी आपने बताया, यह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में फैसला किया गया कि हाउस 18 तक चलेगा, सरकार को भी यही ज्ञात है कि हाउस 18 तक चलेगा और 18 तक चलने के हिसाब से मैंने आपसे निवेदन किया कि 18 तारीख को दोपहर बाद शायद प्रधानमंत्री जी हाउस में आयें और आपकी डिबेट जो होगी, उस पर रोशनी डालें। और आगे बढ़ाना या नहीं बढ़ाना, यह काम हमारा नहीं है। यह काम बिजनेस एडवायजरी कमेटी का है। बिजनेस एडवायजरी कमेटी में आप खुद शामिल होते हैं, खुद बैठते हैं। बिजनेस एडवायजरी कमेटी जो फैसला करेगी वह कार्यवाही आगे की जाएगी उसके अलावा यह जो बातें आपने कही हैं, ये सारी बात और जो आपकी फीलिंग्स हैं मैं पार्लियामेंटरी अफेयर्स मंत्री को कनवे कर दूंगा। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दोनों विधेयक—पंचायती राज विधेयक और नगरपालिका विधेयक—ऐतिहासिक विधेयक हैं। हर हालत में इस सेशन में पास करना चाहते हैं आप इससे कहीं भागना चाहते हों वो अलग बात है, हमें पता नहीं। लेकिन हम इन्हें हर हालत में पास कर के लोगों के हाथों में शक्ति देना चाहते हैं, लोगों के हाथों में काम देना चाहते हैं।

श्री पर्वतनेनि उपेन्द्र: हम नहीं भागना चाहते हैं, आपको भगाना चाहते हैं।

SPECIAL MENTIONS—Contd.

Demand for a statement on Gohpur Incident

DR. NAGEN SAIKIA (Assam): Sir, on the 14th August, the Home Minister stated that he would come with the latest facts before the House about the Gohpur incident. As far as I know, the Government of Assam has already sent a detailed report to the Home Minister and it has been stated therein that only nine

[Dr. Nagen Saikia]

people were killed and all those were non-Bodos. It is for the information of the House that the Arunachal Pradesh Chief Minister, who briefed newsmen that 100 people were killed and 60,000 people had fled away to Arunachal Pradesh, has denied this. Now he has said that only 3 dead bodies could be recovered from the dense forests of Arunachal Pradesh. All these fabricated and false stories were given by the Chief Minister of Arunachal Pradesh himself to malign the Assam Government and to fan communal feelings in Assam and to destabilise the Government of Assam. Therefore, I want to know from the Government, through you, Sir, when the Home Minister is coming with facts to the House so that we can get some clarifications from him in this regard.

SHRI KAMALENDU BHATTACHARJEE (Assam): The Chief Minister of Arunachal Pradesh should not generate communalism—it is already there.

DR. NAGEN SAIKIA: On the facts that we have got, the Chief Minister of Arunachal Pradesh should be censured.

SHRI CHATURANAN MISHRA (Bihar): Three dead bodies are there. Unless 97 more are there, how can he make a statement?

उपसभाध्यक्ष (श्री मीर्जा इर्शादबेग) माननीय सदस्यों ने कुछ बातें यहां पर उठायी हैं। जहां तक संविधन संशोधन बिल का सवाल है, अभी हाल यह है कि इसके लिए जैसाकि कहा गया है 16 घंटे मुकर्रर किए गए थे। अभी तक इस पर सिर्फ 6 आनरेबल मेंबर्स ने अपनी राय व्यक्त की है और साढ़े 3 घंटे तक हमने इस पर बहस की है। मैं समझता हूं कि यह बहुत जल्दी होगी कि अभी उसके लिए कोई टाइम फिक्स कर के बताया जाए क्योंकि चर्चा अभी बहुत लंबी चलनी है। इस वजह से मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी है। लेकिन फिर भी पार्लिमेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर कहीं और काम में रुके हुए हैं, जैसे आएंगे उनसे यह कहा जाएगा कि उनका जो स्टैंड है वह क्लैरीफाय करें। अभी सदन के सामने स्पेशल मेंशन का जहां तक सम्बंध है, ये स्पेशल मेंशन चेयरमेन साहब ने खुद परमिट किए हुए हैं, इसलिए उसका प्रश्न खड़ा नहीं होता। अभी सदन के सामने जो बिजनेस है, वह स्पेशल मेंशन है और मैं श्री मुहम्मद अमीन अंसारी को पुकार रहा हूं कि वह अपना स्पेशल मेंशन करें।

श्री धर्मपाल (जम्मू और कश्मीर): स्पेशल मेंशन का वायलेट भी पी० उपेन्द्र ने किया . . . (**व्यवधान**) . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI MIRZA IRSHADBAIG): It was permitted by the hon. Chairman. Sir, Mr. Ansari.

Problems being faced by Handloom weavers

श्री मोहम्मद अमीन अंसारी (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, जैसाकि आप जानते हैं पावरलूम व हैंडलूम घरेलू उद्योग हैं। इसमें लगभग 2 करोड़ से ज्यादा लोग लगे हुए हैं और 6 करोड़ लोगों को इस उद्योग से रोजी-रोटी मिलती है।

SHRI RAOOF VALIULLAH: (Gujrat): Sir, kindly restore order in the House. Ask them to leave the House or sit in their seats. Mr. Dipen Ghosh is such a senior Member.

3.00 P.M.

श्री मुहम्मद अमीन अंसारी: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि पावरलूम और हैंडलूम और कालीन उद्योग, यह हिन्दुस्तान के घरेलू उद्योग हैं। इसमें लगभग दो करोड़ लोग लगे हैं और इससे 6 करोड़ लोगों को रोजी-रोटी मिलती है। आज समस्या बड़ी गंभीर है। कॉटन का भाव बढ़ने के हिसाब से, उससे ज्यादा भाव स्पिनिंग मिल वाले, चाहे वह एन०टी०सी० हो